

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 74/2024

दायर दिनांक: 03.07.2024

उनवान

1. पूरीबाई पुत्री कन्हैयालाल जाति धाकड नि. चछलाव तहसील सुनेल

— वादीया

बनाम

1. सत्यानारायण पि. देवीलाल जाति धाकड नि. चछलाव तहसील सुनेल

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक —

वकील वादी — श्री रमेशचन्द नागर

प्रतिवादी सं. 1 — एकतरफा

निर्णय

दिनांक 23.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादीया उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अर्न्तगत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम चछलाव की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 415 किता 3 रकबा 0.8726 है. के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.05.2025 के अनुसार वादीया एवं प्रतिवादी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/643 दिनांक 30.05.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया जिस पर अभिभाषक वादीया की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीया की सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.05.2025 अनुसार वादीया व प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम चछलाव की

4
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)



वादग्रस्त आराजी खाता सं. 415 किता 3 रकबा 0.8726 है. भूमि में तहसीलदार सुनेल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादीया एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किस्म
1	पूरीबाई पुत्री कन्हैयालाल जाति धाकड नि. चछलाव	299	0.1517	माल अलीफ
		477	0.1264	माल प्रथम
		516	0.1581	बीड प्रथम
		किता 3	0.4362	
2	सत्यानारायण पि. देवीलाल जाति धाकड नि. चछलाव	299	0.1518	माल अलीफ
		477	0.1265	माल प्रथम
		516	0.1581	बीड प्रथम
		किता 3	0.4364	

तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।
फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिठुवा
पिठुवा जिला मध्य प्रदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 74/2024

दायर दिनांक: 03.07.2024

उनवान

1. पूरीबाई पुत्री कन्हैयालाल जाति धाकड नि. चछलाव तहसील सुनेल

— वादीया

बनाम

- सत्यानारायण पि. देवीलाल जाति धाकड नि. चछलाव तहसील सुनेल
- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक —

वकील वादी — श्री रमेशचन्द नागर

प्रतिवादी सं. 1 — एकतरफा

मिनजानित मुदई रूबरूX.....मिनजाविन

मुदालयह हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि —

इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.05.2025 अनुसार वादीया व प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम चछलाव की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 415 किता 3 रकबा 0.8726 है. भूमि में तहसीलदार सुनेल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादीया एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।



क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किस्म
1	पूरीबाई पुत्री कन्हैयालाल जाति धाकड नि. चछलाव	299	0.1517	माल अलीफ
		477	0.1264	माल प्रथम
		516	0.1581	वीड प्रथम
		किता 3	0.4362	
2	सत्यानारायण पि. देवीलाल जाति धाकड नि. चछलाव	299	0.1518	माल अलीफ
		477	0.1265	माल प्रथम
		516	0.1581	वीड प्रथम
		किता 3	0.4364	

उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

तहशीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

[Handwritten Signature]

(दिनेश कुमार गीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज. 01

निजX.....मुबालिकX..... बाबत खर्चा इस मुकदमें के सूद
बधारेहX.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX.....
अदा करूंगा।

भैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 23.06.2025 को जारी किया
गया।

[Handwritten Signature]

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज. 01

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

[Handwritten Signature]

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज. 01
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज. 01)

